17/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस के आधार पर प्रा० पत्र T.I सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कर दी। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माँझर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.02.05 15:19:26 IST
Reason: SelfAttested